



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243865
CG-DL-E-24022023-243865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944

No. 123]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-15/3278-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, श्रुति स्कूल ऑफ नर्सिंग, मैलूर रोड, लिडकर कार्यालय के पास, जिला बिदर – 585403, कर्नाटक कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कमरा नम्बर 105, प्रथम तल, विकास सौदा, बंगलौर – 560001, कर्नाटक को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-15/3278-आईएनसी दिनांक 19/02/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 19/02/2021 की एक प्रति श्रुति स्कूल ऑफ नर्सिंग, मैलूर रोड, लिडकर कार्यालय के पास, जिला बिदर – 585403, कर्नाटक को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, श्रुति स्कूल ऑफ नर्सिंग के मामले में परिषद् राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिली है। और श्रुति स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

जबकि, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 26/12/2020 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां। ये गंभीर कमियां हैं जो बताती हैं कि संस्थान जीएनएम कोर्स चलाने में असमर्थ है।

अतः इसलिए, भारतीय उपचर्या परिषद् धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि 25/06/2022 से आगे श्रुति स्कूल ऑफ नर्सिंग, मैलूर रोड, लिडकर कार्यालय के पास, जिला बिदर – 585403, कर्नाटक से जीएनएम की योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति कर्नाटक राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल कर्नाटक राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./649/2022-23]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-15/3278-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Shruti School of Nursing** situated at **Mailoor Road, Near Lidkar Office, Distt. Bidar - 585403 Karnataka** is recognized by State Government of Karnataka and Karnataka Nursing Council to conduct GNM course.

Whereas, a notice no. 18-15/3278-INC dated 19/02/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Room No. 105, 01st Floor, Vikas Souda, Bangalore – 560001, Karnataka was issued. Copy of the notice dated 19/02/2021 was also enclosed to **Shruti School of Nursing** situated at **Mailoor Road, Near Lidkar Office, Distt. Bidar - 585403 Karnataka**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Shruti School of Nursing**. Even the institution **Shruti School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 26/12/2020 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 25/06/2022 any person holding a recognized qualification of GNM from **Shruti School of Nursing** situated at **Mailoor Road, Near Lidkar Office, Distt. Bidar - 585403 Karnataka** shall be entitled to be registered only in the State of Karnataka subject to the orders of State government of Karnataka.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ety./649/2022-23]